



निर्वाचन  
महत्त्वपूर्ण

## समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी। (विधि-व्यवस्था कोषांग)

### संयुक्त आदेश

\*\*\*\*\*

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली के प्रेस विज्ञापित-ई0सी0आई0/पी0एन0/23/2019 दिनांक-10.03.2019 द्वारा बिहार राज्य में लोक सभा आम निर्वाचन-2019 का मतदान सात चरण में निर्धारित की गई है। इस जिला अन्तर्गत 02-पश्चिमी चम्पारण, 03-पूर्वी चम्पारण एवं 04-शिवहर संसदीय क्षेत्र का मतदान षष्ठम चरण में दिनांक-12.05.2019 को निर्धारित है। इस जिला मुख्यालय स्थित 03-पूर्वी चम्पारण एवं 04-शिवहर संसदीय क्षेत्र का नामांकन प्रक्रिया दिनांक-16.04.2019 से प्रारंभ हो रही है, जो निम्नवत् है :-

क्र0	निर्धारित कार्यक्रम	निर्धारित कार्यक्रम की तिथि
1	2	3
1	नामांकन दाखिल करने की तिथि	16.04.2019
2	नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि	23.04.2019
3	नामांकन जाँच की तिथि	24.04.2019
4	प्रत्याशियों द्वारा नामांकन वापस लेने की तिथि	26.04.2019
5	मतदान की तिथि	12.05.2019
6	मतगणना की तिथि	23.05.2019

02. इस जिला मुख्यालय स्थित 03-पूर्वी चम्पारण एवं 04-शिवहर संसदीय क्षेत्र के नामांकन के अवसर पर अभ्यर्थियों के साथ समर्थकों की भीड़ की सम्भावना को देखते हुए विधि-व्यवस्था संधारण एवं सुचारु रूट लाईनिंग तथा पार्किंग व्यवस्था बनाये रखने हेतु निम्न प्रकार दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

क्र0	प्रतिनियुक्ति स्थल का नाम	प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का नाम एवं पदनाम	प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	पुलिस बल
1	2	3	4	5
1	कचहरी चौक	श्री दिलीप कुमार, अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, पूर्वी चम्पारण मो0-8544411250	पु0अ0नि0, गोरख राम, पुलिस कार्यालय, मोतिहारी मो0-9931481333	06
2	सुधा मिल्क सेन्टर के सामने ड्रॉप गेट	श्री शशि भूषण तिवारी, जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी मो0-9430471722		
3	समाहरणालय के मुख्य द्वार पर	1. श्री रणवीर सिंह, परियोजना निदेशक, आत्मा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी मो0-9431485261 2. श्रीमती रितु गुप्ता, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, कोटवा मो0-9431005356	पु0अ0नि0, गजेन्द्र कुमार सिंह, पुलिस कार्यालय, मोतिहारी मो0-9939647454	04


4	पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मुख्य द्वार पर	श्री रामनारायण साह, विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, मोतिहारी मो0-8825313064	-	02
5	समाहरणालय मुख्य द्वार के अन्दर तीन मुहाने पर	श्री रविश कुमार रंजन, सहायक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, मोतिहारी मो0-9934610171	स0अ0नि0, बबन कुमार, यातायात, मोतिहारी मो0-7366033894	02
6	जिला अभिलेखागार के सामने वाहन पार्किंग (04-शिवहर के अभ्यर्था हेतु)	श्री ललन बैठा, सहायक अभियन्ता, सिकरहना तटबंध प्रमण्डल, मोतिहारी मो0-7463889667	स0अ0नि0, अशोक मुखिया, जयबजरंग ओ0पी0 मो0-9431261626	02
7	समाहरणालय स्थित एस0बी0आई0 ए0टी0एम0 के पास (यह प्रवेश द्वार पूर्णतः बन्द रहेगा)	श्री अजीत शरण, सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी मो0-8340329253	-	02
8	एन0आई0सी0 कार्यालय के पास प्रोटिको में	श्री अश्विनी कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, पूर्वी चम्पारण मो0-7870087021	पु0अ0नि0, प्रेमनाथ प्रसाद, पुलिस कार्यालय, मोतिहारी मो0-9931481333	04
9	निर्वाची पदाधिकारी, 04-शिवहर के कक्ष बाहर	1. श्री राजकुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सर्व शिक्षा अभियान, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी मो0-8544411249 2. श्रीमती प्रतिभा कुमारी गिरी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी मो0-9431005038		
10	गाँधी बाल उद्यान के पास जिला अतिथि गृह जाने वाले सड़क पर	श्री सुनील कुमार सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन-1, मोतिहारी मो0-9472027165	स0अ0नि0, राघवेन्द्र कुमार, नकरदेई थाना मो0-8521608288	02
11	समाहरणालय के दक्षिणी द्वार पर (यह प्रवेश द्वार पूर्णतः बन्द रहेगा)	श्री जिसान अली, सहायक अभियन्ता, जल निस्सरण प्रमण्डल, मोतिहारी मो0-7277073652	-	02
12	जिला सामान्य शाखा एवं निलाम पत्र कार्यालय के बीच ड्रॉप गेट	मो0 जावेद अख्तर, सहायक साधन सेवी, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, मोतिहारी मो0-8544411254	-	02
13	जिला प्रोग्राम कार्यालय के सामने वाहन पार्किंग (03-पूर्वी चम्पारण के अभ्यर्था हेतु)	श्री राजकिशोर प्रसाद सिंह, सहायक साधन सेवी, सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय, मोतिहारी मो0-8544411256	स0अ0नि0, बनारसी सिंह, भोपतपुर ओ0पी0 मो0-6200639569	02


14	निर्वाची पदाधिकारी, 03-पूर्वी चम्पारण के कक्ष बाहर	1. श्री नयन प्रकाश, जिला सहकारिता पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी मो0-9934715193 2. श्रीमती संध्या कुमारी, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, मोतिहारी मो0-9431005360	पु0अ0नि0, मृत्यंजय कुमार मिश्र, पुलिस कार्यालय, मोतिहारी मो0-7781861434	04
15	प्रभारी पदाधिकारी राजस्व के कार्यालय प्रकोष्ठ के पास	श्री शम्भू प्रसाद यादव, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी मो0-9771347688		
16	उँदू कोषांग के पास ड्रॉप गेट	श्री शम्स परवेज, विकास पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, मोतिहारी मो0-9661181353	पु0अ0नि0, विपिन कुमार सिंह, मलाही थाना मो0-9473023844	02
17	एस0बी0आई0 बैंक के पास व्यवहार न्यायालय जाने वाले गेट पर	श्री अनिल कुमार गुप्ता, कार्यपालक अभियन्ता, बुडको, डूडा, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी मो0-8986194463	स0अ0नि0, कृष्णमोहन झा, पचपकड़ी ओ0पी0 मो0-8709585033	1-4
18	केन्द्रीय कारा, मोतिहारी के पास ड्रॉप गेट	श्री नरेन्द्र सिंह, कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, मोतिहारी मो0-8986915276	पु0अ0नि0, कामेश्वर सिंह, राजेपुर थाना मो0-9973802344	02
19	कचहरी चौक से समाहरणालय परिसर एवं जिला अतिथि गृह तक गश्ती	श्री बिरेन्द्र कुमार, अंचलाधिकारी, मोतिहारी मो0-8544412778	-	02

03. उपरोक्त प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी विशेष रूप से निम्नलिखित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे :-

- (क) दिनांक-16.04.2019 से 26.04.2019 तक 09:00 बजे पूर्वाह्न से 06:00 बजे अपराह्न तक अपने प्रतिनियुक्त स्थल पर उपस्थित रहकर विधि-व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।
- (ख) भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार अभ्यर्थी द्वारा नामांकन दाखिल करने के समय 200 मीटर के अन्दर केवल 03 तीन वाहन ही प्रवेश कर सकती है।
- (ग) दिनांक-10.03.2019 से पूरे जिले में आदेश ज्ञापांक-769 दिनांक-10.03.2019 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू है। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी निगरानी रखेंगे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा का कोई व्यक्ति उल्लंघन करता है, तो उसे चिन्हित कर विधि-सम्मत कार्रवाई करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी के माध्यम से अधोहस्ताक्षरी को प्रतिवेदित करेंगे।
- (घ) सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पूरे नामांकन कार्यक्रम के दौरान सभी महत्वपूर्ण घटनाक्रमों की वीडियोग्राफी करायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अभ्यर्थी के साथ अन्य चार व्यक्ति तथा निर्दलीय अभ्यर्थी के साथ 10 प्रस्तावक होने के बावजूद भी एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष में प्रवेश नहीं करेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के 10 मिनट पहले नामांकन कक्ष के बाहर अधिष्ठापित ध्वनी विस्तारक यंत्र के माध्यम से प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी बार-बार समय के संबंध में उद्घोषणा करेंगे, ताकि नामांकन हेतु आने वाले अभ्यर्थी को नामांकन अवधि के समाप्ति के संबंध में घोषणा स्पष्ट रूप से सुनाई पड़े।

- (ड.) सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन करायेंगे तथा किसी प्रकार का आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला प्रकाश में आने पर अविलम्ब विधि-सम्मत कार्रवाई करेंगे।
- (च) समाहरणालय के मुख्य द्वार पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि समाहरणालय के अन्दर अभ्यर्थी के साथ तीन वाहन ही जाँचोपरान्त प्रवेश करें।
- (छ) सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी अपने साथ प्रतिनियुक्त वीडियोग्राफ को निदेशित करेंगे कि नामांकन के क्रम में अभ्यर्थी के साथ आये जुलूस में सम्मिलित सभी वाहनों का इस प्रकार वीडियोग्राफी करें, ताकि वाहन का निबंधन संख्या, बैनर, पोस्टर तथा झंडों की संख्या स्पष्ट तौर पर दिखाई दे।
- (ज) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन की सम्पूर्ण प्रक्रिया को निर्बाध सम्पन्न कराने तथा निर्वाची पदाधिकारी के कक्ष से 100 मीटर की परिधि के अन्दर अवांछित व्यक्ति तथा अनाधिकृत वाहन प्रवेश न कर पाय।
04. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी एवं अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, सदर, मोतिहारी उक्त नामांकन अवधि में विधि-व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित निर्देशों का अनुपालन शतप्रतिशत हो।
05. उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी निम्न निदेशों का अनुपालन ससयम सुनिश्चित करेंगे :-
- (क) सभी प्रतिनियुक्त स्थल पर दण्डाधिकारी के साथ वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रत्येक दिन की गई वीडियोग्राफी की सी0डी0 बनवाकर आदर्श आचार संहिता कोषांग तथा व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग को संध्या 07:00 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
- (ख) सभी ड्रॉप गेट एवं अन्य आवश्यक स्थलों पर आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग तथा शेड, कुर्सी एवं ध्वनी विस्तारक यंत्र की व्यवस्था ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।
06. सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि दिनांक-16.04.2019 से 26.04.2019 तक वे समाहरणालय में प्राथमिक उपचार से संबंधित दवाओं के साथ चिकित्सकों की टीम पारा मेडिकल कर्मी के साथ एम्बुलेंस सहित उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।
07. अग्निशाम पदाधिकारी, मोतिहारी को निदेश दिया जाता है कि दिनांक-16.04.2019 से 26.04.2019 तक समाहरणालय में अग्निशामन वाहन पूरे सर्पोटिंग के साथ उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे।
08. अधोहस्ताक्षरी के समाहरणालय स्थित कार्यालय प्रकोष्ठ में दिनांक-15.04.2019 को अपराह्न 04:00 बजे नामांकन प्रक्रिया को शान्तिपूर्ण वातावरण में सम्पन्न के उद्देश्य से ब्रिफिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिनियुक्त सभी संबंधित पदाधिकारी, दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी भाग लेना सुनिश्चित करेंगे।

  
पुलिस अधीक्षक,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

  
14.4.19  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

प्रतिलिपि-  
प्रतिलिपि-

ज्ञापांक- 258 /गो०, मोतिहारी, दिनांक- 14 वीं अप्रैल, 2019  
सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।  
निर्वाची पदाधिकारी, 04-शिवहर/03-पूर्वी चम्पारण/सभी सहायक निर्वाची पदाधिकारी/  
सिविल सर्जन, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी/सभी कोषांग के नोडल पदाधिकारी/अनुमंडल  
पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मोतिहारी सदर/उप निर्वाचन पदाधिकारी, पूर्वी  
चम्पारण, मोतिहारी/पुलिस उपाधीक्षक, रक्षित, पुलिस केन्द्र, मोतिहारी/अग्निशाम  
पदाधिकारी, मोतिहारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

01/14/17

पुलिस अधीक्षक,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

14.4.19  
जिला निर्वाचन पदाधिकारी  
-सह-  
जिला दण्डाधिकारी,  
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।